**संख्या-102/2020/2974/22-2-2019-17(1194)/2019**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 03 मार्च, 2020***

विषय:- जिला कारागार, कन्नौज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रूपनरायन मिश्रा पुत्र श्री रामसनेही, निवासी जनपद-कन्नौज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33635/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 26.09.2019 दिनांक 19.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रूपनरायन मिश्रा पुत्र श्री रामसनेही, जो महोई मौजा नौली, थाना-छिबरामऊ जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। बंदी द्वारा तमंचा के लिए खोल व कारतूस की पेटी को सिलने से मना करने पर दिनांक 24.08.1993 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-248/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कन्नौज के आदेश दिनांक 31.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.10.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, कन्नौज ने अपनी आख्या में बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने की संभावना होने एवं अपराध करने में अशसक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, कन्नौज द्वारा बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बंदी रूपनरायन मिश्रा (बन्दी संख्या-35/2011) पुत्र श्री रामसनेही, निवासी **जनपद-कन्नौज** की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

**संख्या-102/2020/2974(1)/22-2-2019 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, कन्नौज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in